Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2024: 8.058
https://www.srjis.com/issues_data/233
PEER REVIEWED, REFEREED & INDEXED JOURNAL APR-MAY 2024, Vol-12/63
https://doi.org/10.5281/zenodo.11295816

पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयी दिशानिर्देशों के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन

चेतना जठोल & प्रोफेसर रंजीत कौर
शोधार्थी, *चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, chetnabajwa@gmail.com*
शिक्षा विभाग चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, *drranjitkaur2003@gmail.com*

Paper Received On: 12 May 2024
Peer Reviewed On: 28 May 2024
Published On: 01 June 2024

Abstract

यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि बाल यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पोक्सो अधिनियम के 2012 में लागू होने और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा वर्ष 2015 में विद्यालयों के लिए विस्तारपूर्वक दिशानिर्देश जारी करने के बावजूद जमीनी स्तर पर क्या परिवर्तन आए हैं। समाज में बाल यौन शोषण विषय पर चर्चा आम जनमानस के लिए आज भी इतनी सहज नहीं है। 2022 में इस अधिनियम को लागू हुए एक दशक का समय हो जाएगा। इस एक दशक में तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण हितधारक, शिक्षक इस अधिनियम के बारे में कितने जागरूक हैं, यह जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि घर के बाद बच्चा अपना सबसे अधिक समय विद्यालय में ही व्यतीत करता हैं। साथ ही यह भी पता लगाना आवश्यक है कि विद्यालय इस अधिनियम संबंधी दिशानिर्देशों का कितना पालन कर रहे हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में हरियाणा के झज्जर तथा फ़रीदाबाद जिले के 200 अध्यापकों को शामिल किया गया है जिसमे 100 अध्यापक निजी विद्यालयों से तथा 100 सरकारी विद्यालयों से लिए गए हैं। सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए एक स्वनिर्मित प्रश्नावली के जरिये आंकड़ों का संग्रहण किया गया है तथा प्रतिशत विश्लेषण विधि का प्रयोग आंकड़ों के विश्लेषण के लिए किया गया है। शोध परिणाम बताते हैं कि शिक्षकों में अब भी इस अधिनियम के विभिन्न आयामों के प्रति पूरी तरह जागरूकता नहीं है। साथ ही विद्यालय भी इससे संबन्धित दिशानिर्देशों को गंभीरता से न लेते हुए सभी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों को इस अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण देने संबंधी प्रयास भी असंतोषजनक हैं।

मुख्य शब्द: पोक्सो अधिनियम, दिशानिर्देश, यौन शोषण, जागरूकता, हितधारक

प्रस्तावना

मानव समाज के लिए यह एक घातक लक्षण है जब शोध आंकड़े यह दर्शा रहे हों कि विश्व का हर दूसरा बाल यौन हिंसा का शिकार हो रहा है, यह यौन अत्याचार चाहे मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक हो। यह जानकारी हमे यूनेस्को, यूनिसेफ़ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आंकड़ों सहित जारी एक शोध रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। अमेरिका जैसा विकसित देश भी इससे अछूता नहीं है, एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में हर वर्ष बाल यौन शोषण के 3,000,000 केस दर्ज होने और इनमें से लगभग 9,00,000 यौन अपराध से संबन्धित केसों की पुष्टि होने की बात कही गई है। इससे यह निष्कर्ष

Copyright@2024 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

निकाला जा सकता है कि अमेरिका जैसे विकसित और विश्व शक्ति होने के बावजूद भी बाल यौन शोषण की दर एक सेकंड में 35 है (चिल्ड्रेन डिफेंस फ़ंड, 2010, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ एंड ह्यूमन सर्विसज, 2007)। बाल यौन अपराध को बढ़ाने में ऑनलाइन अपलोड की जाने वाली यौन उत्पीड़न सामग्री भी एक कारण है, इस तथ्य को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रकार की सामग्री को ऑनलाइन अपलोड करने वाले देशों में भारत 11.7% रिपोर्ट के साथ प्रथम स्थान पर है। भारत में 2020 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक दिन 109 बाल यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं और इस उत्पीड़न दर में प्रति वर्ष बढ़ौतरी हो रही है यह बढ़ौतरी पिछले साल की तुलना में 22% दर्ज की गई है। यह गंभीर विषय है कि भारत में अट्ठारह वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते हर दूसरा बाल यौन अपराध को झेल चुका होता है। और यह तथ्य सबसे हैरान कर देने वाला है कि 90% यौन शोषण करने वाले अपराधी कोई और नहीं बल्कि बच्चे के परिवार के सदस्य अथवा निकट संबंधी होते हैं। देश में लगे पहले लॉक डाउन ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि लॉक डाउन की शुरुआत के 11 दिनों में ही 3,00000 फोन कॉल जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर आई उनमें से 92,105 फोन कॉल केवल बच्चों पर हुए यौन अपराधों से संबन्धित थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हरियाणा राज्य में अप्रैल तथा मई माह में प्रतिदिन औसतन चार पोक्सो अधिनियम संबंधी केस दर्ज हुए।

बच्चे का सम्पूर्ण विकास उसके साथ हुए यौन शोषण से अत्यधिक प्रभावित होता है। बच्चे की वृद्धि एवं विकास में सबसे अहम भूमिका परिवार की और उसके बाद विद्यालय की होती है, इसलिए इन्हें समाजीकरण के प्राथमिक अभिकरण भी कहा जाता है। बच्चों की वृद्धि एवं विकास में इसके अतिरिक्त कुपोषण, बाल श्रम, घर की गरीबी, घरेलू कलह भरा वातावरण आदि अनेक कारकों का भी योगदान है लेकिन बाल यौन उत्पीड़न को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि बच्चे के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, वैयक्तिक एवं संवेगात्मक विकास पर इसका गंभीर असर पड़ता है। बच्चे किसी भी देश की पूंजी होते हैं इसलिए देश के विकास पर परोक्ष रूप से इस उत्पीड़न का प्रभाव केवल वर्तमान में ही नहीं दिखाई देता बल्कि भविष्य में भी नजर आता है। इस समस्या से उभरने के लिए समय-समय पर विधि के अनुसार अनेकों प्रावधान किए गए हैं, लेकिन बच्चों के बढ़ रहे इस यौन उत्पीड़न को रोकने एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोक्सो अधिनियम 2012 लाया गया। पोक्सो अधिनियम को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया था। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम प्रत्येक बालक के लिए है और यह बच्चे के कल्याण, हित और सुरक्षा का सम्मान करते हुए विकास के सभी चरणों पर उसके बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करता है।

ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चा जो बात अपने घर के सदस्यों से नहीं कह पता वह अपने शिक्षक से बेझिझक बोल देता है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएँ समाचार पत्रों में छपी हैं कि बच्चे ने

अपने घर के किसी सदस्य अथवा नजदीकी रिश्तेदार द्वारा किए गए यौन शोषण की घटना अपने शिक्षक के साथ सांझा की है। ऐसी स्थिति में अध्यापकों में यौन उत्पीड़न के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि वह बच्चे को उचित मार्गदर्शन दे कर सहायक की भूमिका निभा सकें। 2015 में इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्कूलों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल प्रबंधन अपने सभी हितधारकों को यौन शोषण तथा इससे संबन्धित पोक्सो अधिनियम की जागरुलता को सबसे अहम मानते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाएगा। जैसा कि ऊपर भी वर्णित है कि इन कार्यक्रमों में विद्यालय केवल अध्यापकों को ही जागरूक नहीं करेगा बल्कि परिजनों को भी यौन अपराध रोकने से संबन्धित प्रावधानों से लाभान्वित करेगा।

प्रति वर्ष लगभग एक अरब बच्चे किसी न किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं। उत्पीड़न बालक के जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा इसके संवेगात्मक और सामाजिक नुकसान उसे लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं (डब्ल्यू.एच.ओ., 2020)। भारत में 2018 में 39,827 केस दर्ज किए गए जिनकी संख्या 2017 में 32,608 थी, यह संख्या बढ़ौतरी की तरफ संकेत करती है। 2008-2018 के वर्ष अंतराल में बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न में छह गुणा इजाफा हुआ है (एन.सी.आर.बी.,2020)। यौन शोषण से जुड़े मामलों को रिपोर्ट करना या अपनी तरफ से किसी भी तरह से सहायता करना एक बेहद मुश्किल कार्य है क्योंकि 90% मामलों में वही लोग संलिप्त होते हैं जो या तो परिवार के सदस्य होते है या कोई बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार (भारती, 2020)। ऐसे में समाज के लोग उसे उजागर करने में आनाकानी करते हैं जो कि बहुत ही गलत कदम होता है। भारत में यौन शिक्षा पर बात करते हुए अधिकतर लोग सकुचाते हैं और यौन अपराध पर बात करना तो एक तरह से निषेध माना जाता है। बच्चों के परिजनों खुद जानकारी के अभाव के चलते अपने बच्चों को इस तरह की घटनाओं के प्रति निपटने के लिए जागरूक नहीं कर पाते। उचित मार्गदर्शन एवं आवश्यक ज्ञान के अभाव के चलते हमारे देश के अनेक बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं (एन.आई.पी.सी.डी.,2015)।

शोध की आवश्यकता

देश के तेरह राज्यों के 12447 न्यायदर्श पर किए गए एक सर्वे द्वारा पता चला कि 53.22 प्रतिशत बच्चे एक या एक से अधिक प्रकार के यौन शोषण का शिकार हो चुके हैं और आंध्र प्रदेश, बिहार, असम तथा दिल्ली में इन घटनाओं की संख्या सबसे अधिक पाई गयी (महिला तथा बाल कल्याण मंत्रालय, 2007)। दिल्ली तथा मुंबई की विशेष अदालतों में 2012 से 2015 के बीच दर्ज हुए केसों का अध्ययन किया तथा यह पाया कि 82.5 प्रतिशत बाल यौन शोषण के केस ऐसे थे जिनमें अपराधी बालक का कोई जानकार था और इनमें सबसे ज्यादा 28 प्रतिशत अपराधी बालक के पड़ोसी थे (एचएक्यू सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, 2017)। यौन शोषण के मामलों में हर साल वृद्धि हो रही है और पोक्सो अधिनियम संबंधी 51 प्रतिशत केस केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा

तथा दिल्ली में दर्ज हुए हैं (कैलाश सत्यार्थी बाल संस्थान, 2021)। बाल यौन अपराध पर आधारित शोध कार्यों से संबन्धित साहित्य अवलोकन से एक बात जो स्पष्ट नजर आती है कि इस विषय के कानूनी अथवा विधि पक्ष को लेकर ही ज़्यादातर शोध किया गया है। यौन उत्पीड़न के पश्चात बालक को न्याय दिलाने में विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों पर, पूरी कानूनी प्रक्रिया पर तो अनेक शोध कार्य हो चुके हैं लेकिन यौन उत्पीड़न की घटना घटित होने से पूर्व अनेक जरूरी बातें हैं, जैसे बच्चे के परिजनों की जागरूकता का स्तर एवं स्कूल के वातावरण में जहां बच्चा काफी समय बिताता है, अधिनियम के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता का अध्ययन। इस प्रकार के शोध कार्य के भारी अभाव को देखते हुए ही शोधकर्ता ने इस समस्या को शोध हेतु चुना है। यहां इस तथ्य पर प्रकाश डालना भी जरूरी है कि यह विषय केवल कानून प्रावधानों को देखते हुए विधि विभाग अथवा विषय से ही संबन्धित नहीं है बल्कि शिक्षा जैसे अहम विषय के साथ भी उतना ही जुड़ाव रखता है। भारत में 2015 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा विद्यालयों हेतु जारी विस्तृत दिशानिर्देशों से इसकी शिक्षा के साथ संबद्धता का अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। बच्चे का बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास शैशवावस्था में शुरू होता है इसके पश्चात बाल्यकाल के रास्ते किशोरावस्था में अपनी सम्पूर्ण परिपक्वता को ग्रहण करता है और यही समय अंतराल ऐसा है जब बालक विद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है । विद्यालय के अहम स्थान को देखते हुए प्रस्तुत शोध में हरियाणा राज्य के अध्यापकों की पोक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता एवं उन्हे प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति को केन्द्र में रखा गया है। जागरूकता से अभिप्राय पोक्सो अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विद्यालयों को जारी किए गए दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी से है। यह शोध पत्र पोक्सो अधिनियम की कानूनी प्रक्रिया से पहले की स्थिति को समझने में एक नया ज्ञान विकसित करेगा।

शोध कथन

पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयी दिशानिर्देशों के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन।

शोध उद्देश्य

1. पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयी दिशानिर्देशों के क्रियान्वन की स्थिति का अध्ययन।
2. पोक्सो अधिनियम के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन।
3. पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन।

शोध विधि तथा न्यायदर्श

इस शोध कार्य हेतु शोधकर्ता ने वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यायदर्श के रूप में हरियाणा के दो जिलों झज्जर तथा फ़रीदाबाद के कुल 200 अध्यापकों का उद्देश्यपरक विधि के द्वारा चयन किया है। जिसमे सरकारी विद्यालयों के 100 अध्यापक तथा निजी विद्यालयों के 100 अध्यापकों को सम्मिलित किया है।

शोध उपकरण

शोध उपकरण के रूप में एक के लिए एक स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण शोधकर्ता के द्वारा किया गया है। इस प्रश्नावली को बनाते हुए पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा विद्यालयों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों को आधार बनाया गया है। प्रश्नावली के प्रथम प्रारूप की समीक्षा, अवलोकन तथा सुझावों के लिए इसे विषय-विशेषज्ञों को दिया गया तथा उनके द्वारा प्राप्त सझावों को सम्मिलित करते हुए प्रश्नावली के प्रथम प्रारूप में आवश्यक सुधार किया गया। विषय-विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर प्रश्नावली के अस्पष्ट प्रश्नों की भाषा में आवश्यक सुधार किया गया। परीक्षण में कुछ नवीन प्रश्नों को जोड़ा गया तथा कुछ प्रश्नों को हटाया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण

शोध उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आंकड़ों के विश्लेषण के लिए व्याख्यात्मक विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हुए प्रतिशत विश्लेषण किया गया है।

1. शोध उद्देश्य, "**पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयी दिशानिर्देशों के क्रियान्वन की स्थिति का अध्ययन**" के अंतर्गत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण:

प्रश्न सं. 1

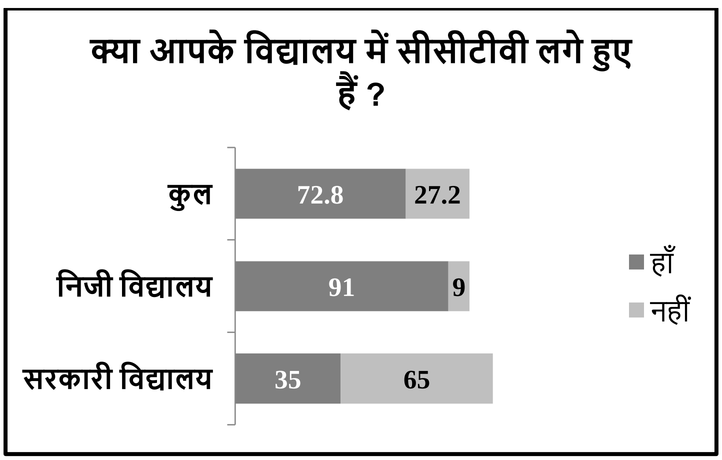

स्तम्भ आलेख: 1

शोधकर्ता के द्वारा शिक्षकों से पूछे गए प्रश्न 'क्या आपके विद्यालय में सीसीटीवी लगे हुए हैं?' के जवाब में कुल 72.8 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उनके विद्यालय में सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर हम सरकारी और निजी विद्यालयों की तुलना करें तो पाएंगे कि निजी विद्यालयों के 91 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालय में सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहीं सरकारी विद्यालय के केवल 45 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में सीसीटीवी लगे होने की पुष्टि की। हरियाणा के विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा 2017 में निजी विद्यालयों को तुरंत सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए गए थे तथा सरकारी विद्यालयों को इसके लिए आवश्यक बजट की मांग बताने के लिए कहा गया था

परंतु अब तक भी सीसीटीवी के लिए किसी प्रकार का फ़ंड नहीं प्रदान किया गया जिसके कारण बहुत कम सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। जिन विद्यालयों में सीसीटीवी लगे हुए हैं वह अधिकतर ग्राम पंचायत या गैर सरकारी संस्थानों द्वारा लगवाए गए हैं।

प्रश्न सं. 2

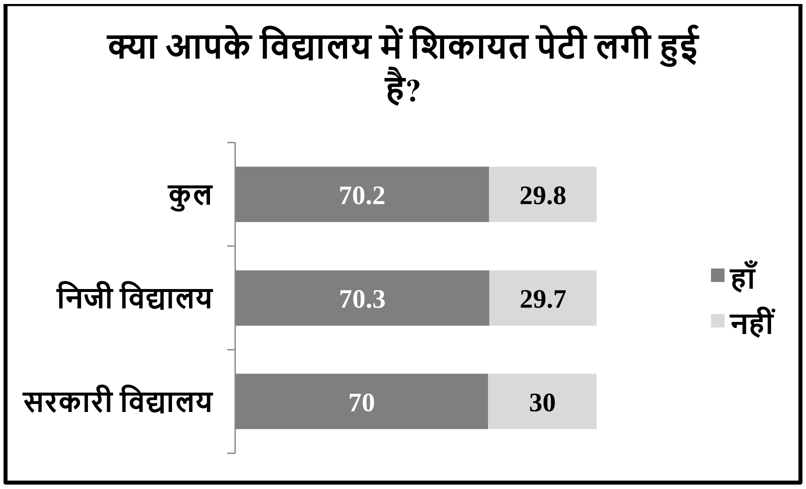

स्तम्भ आलेख: 2

स्तम्भ आलेख सं.2 में शोधकर्ता के द्वारा पूछे गए प्रश्न 'क्या आपके विद्यालय में शिकायत पेटी लगी हुई है?' की प्रतिक्रिया दर्शायी गई है। कुल 70.2 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालय में यौन शोषण रोकने हेतु शिकायत पेटी का प्रावधान है। तुलनात्मक दृष्टि से इस प्रश्न की प्रतिक्रिया देखने से हमें पता चलता है कि निजी और सरकारी विद्यालयों के अध्यापक लगभग एक समान क्रमशः 70.3 प्रतिशत और 70 प्रतिशत, अपने विद्यालय में शिकायत पेटी होने की पुष्टि करते हैं।

प्रश्न सं. 3

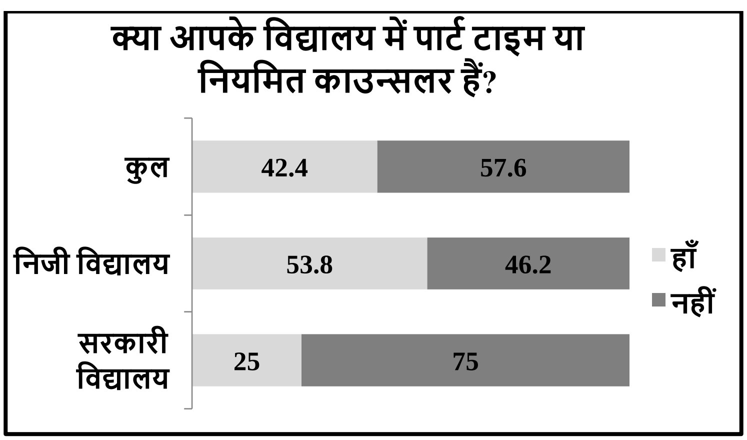

स्तम्भ आलेख: 3

पोक्सो अधिनियम के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में परामर्शदाता होना अनिवार्य है। शोधकर्ता ने जब यह प्रश्न पूछा कि 'क्या आपके विद्यालय में पार्ट टाइम या नियमित काउन्सलर हैं?', तो इसकी

Copyright@2024 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

प्रतिक्रिया में केवल 42.4 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में परामर्शदाता होने की बात की। जहां तक विद्यालय के प्रकार का सवाल है तो निजी विद्यालय इसमें सरकारी विद्यालयों से आगे हैं। निजी विद्यालयों के 53.8 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में परामर्शदाता होने की पुष्टि की और सरकारी विद्यालय के केवल 25 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में परामर्शदाता होने की बात की। हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में काउन्सलर की नियुक्ति नहीं की जाती, केवल खंड स्तर पर तथा जिला स्तर पर काउन्सलर का प्रावधान है तथा यही काउन्सलर विद्यालय में समय-समय पर जाकर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करते हैं।

प्रश्न सं. 4

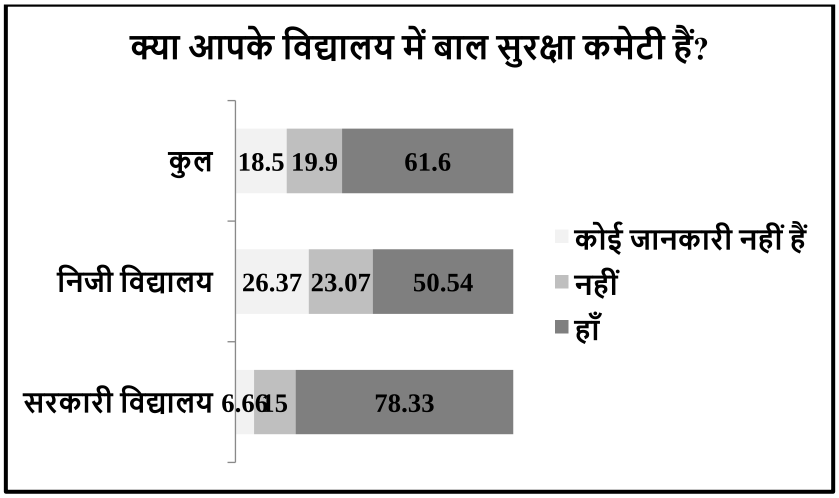

स्तम्भ आलेख: 4

बाल यौन अपराध रोकने हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक बाल सुरक्षा समिति गठन करने का प्रावधान है। विद्यालय में बाल सुरक्षा समिति के गठन के बारे पूछने पर 61.6 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालय में इस समिति का गठन किया गया है। शोध परिणाम में समिति गठन के मामले में सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयों से आगे नजर आए, 78.33 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने अपने स्कूल में बाल सुरक्षा समिति के गठन की बात की, वहीं 50.54 प्रतिशत निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने कहा कि उनके स्कूल में बाल सुरक्षा समिति है। निजी विद्यालयों में बाल सुरक्षा कमेटी की जानकारी अध्यापकों तक सही ढंग से नहीं पहुंचाई गयी तथा बहुत से विद्यालयों नें ऐसी कमेटियाँ बना तो ली हैं परंतु बहुत ज्यादा सक्रिय न होने के कारण अध्यापकों को इसकी जानकारी नहीं है।

2. शोध उद्देश्य, **“पोक्सो अधिनियम के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन”** के अंतर्गत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण:

प्रश्न	उत्तर	कुल	सरकारी	निजी

			विद्यालय के शिक्षक	विद्यालय के शिक्षक
पोक्सो अधिनियम के बारे में सुना है?	हाँ	88.7	100	81.3
	नहीं	11.3	कोई नहीं	19.7
पोक्सो अधिनियम के तहत अपने दायित्वों के बारे में जानते हैं?	हाँ	53.6	80	36.26
	नहीं	8.6	1.6	13.18
	कुछ हद तक	37.7	18.4	50.56

शोधकर्ता के द्वारा शोध प्रतिदर्श में शामिल अध्यापकों की पोक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता को भी मापने का प्रयास किया गया। इस उद्देश्य से अध्यापकों से तीन प्रश्न पूछे गए, सर्वप्रथम उनसे यह पूछा गया कि 'क्या आपने पोक्सो अधिनियम के बारे में सुना है?' इसकी प्रतिक्रिया में कुल 88.7 प्रतिशत अध्यापकों ने पोक्सो अधिनियम की जानकारी की बात मानी। ध्यान देने वाली बात है कि सरकारी विद्यालयों के शत प्रतिशत अध्यापकों ने अधिनियम की जानकारी होने की बात की, वहीं निजी विद्यालयों के 81.3 प्रतिशत अध्यापकों ने इसकी जानकारी की पुष्टि की। पूरे देश में अध्यापकों के लिए चलाई गयी निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण 100 प्रतिशत सरकारी अध्यापकों को पोक्सो अधिनियम संबंधी जानकारी थी।

पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अध्यापकों के दायित्वों का भी विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है। शोधकर्ता ने जब अध्यापकों से अपने दायित्वों की जागरूकता के बारे में पूछा तो 53.6 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उन्हें अपने दायित्व की पूर्ण रूप से जानकारी है। 37.7 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उन्हें कुछ हद तक अपने दायित्वों की जानकारी है और 8.6 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सरकारी और निजी विद्यालयों की तुलना करें तो सरकारी विद्यालयों के 80 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उन्हें अपने दायित्व की पूर्ण रूप से जानकारी है, वहीं निजी विद्यालयों के केवल 36.26 प्रतिशत अध्यापकों ने पूरी जानकारी की बात मानी। सरकारी अध्यापकों में पोक्सो अधिनियम संबंधी जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चलाये गए हैं जिसके कारण अधिकतर अध्यापकों को अपने दायित्वों की जानकारी है परंतु निजी विद्यालयों में इस दिशा में अभी उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना संबंधी सुविधाएं प्रदान करने में दिया गया है।

Copyright@2024 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

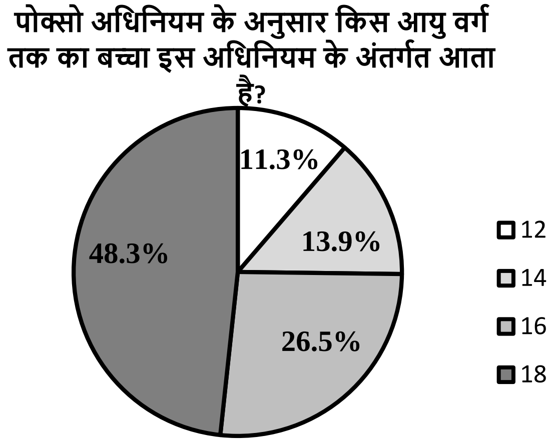

शोधकर्ता द्वारा अधिनियम संबंधी जागरूकता हेतु एक प्रश्न पूछा गया कि,‘पोक्सो अधिनियम के अनुसार किस आयु वर्ग तक का बच्चा इस अधिनियम के अंतर्गत आता है?’इसकी प्रतिक्रिया में 48.3 प्रतिशत अध्यापकों ने सही जानकारी देते हुए 18 वर्ष तक के बच्चों को अधिनियम के अंतर्गत बच्चा मानने की बात कही गई। 26.5 प्रतिशत अध्यापकों ने 16 वर्ष, 13.9 प्रतिशत अध्यापकों ने 14 वर्ष और 11.3 प्रतिशत अध्यापकों ने 12 वर्ष तक के बच्चों को अधिनयम के अंतर्गत बच्चा मानने की बात कही जो कि सही नहीं है। पोक्सो अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निरंतरता होना अत्यंत आवश्यक है ताकि शिक्षकों को इसके सभी बिन्दुओं की पूर्ण जानकारी हो सके।

3. शोध उद्देश्य, **“पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन।”** के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण:

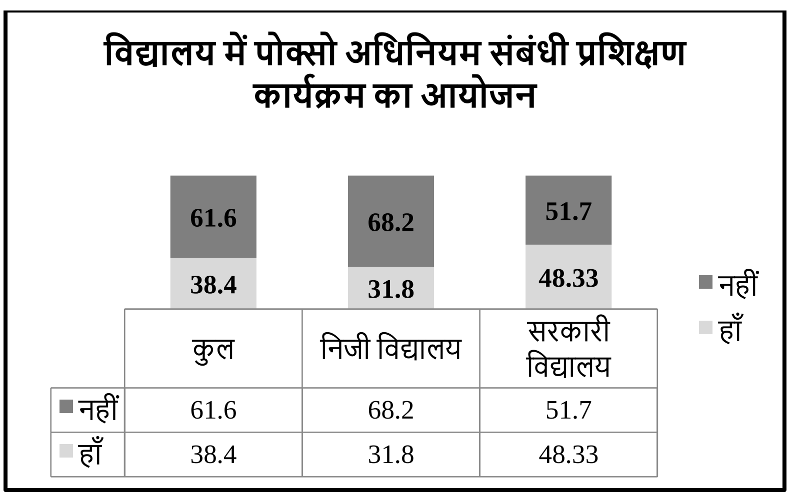

	कुल	निजी विद्यालय	सरकारी विद्यालय
नहीं	61.6	68.2	51.7
हाँ	38.4	31.8	48.33

स्तम्भ आलेख: 5

सरकार एवं अनेक गैर-सरकारी संगठनों का निरंतर प्रयास है कि देश में व्याप्त बाल यौन अपराध को रोका जाए, जिसके लिए वो समय समय पर विभिन्न संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। भारत में शिक्षण संस्थानों में भी विभिन्न हित्तधारकों के लिए प्रशिक्षण

कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रस्तुत शोध में भी शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया कि पोक्सो अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालयों में किया गया या नहीं। इसकी प्रतिक्रिया में 38.4 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उनके विद्यालय में ऐसे आयोजन किए जाते हैं, निजी विद्यालयों के 31.8 प्रतिशत अध्यापकों के मुक़ाबले सरकारी विद्यालयों के 48.33 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालयों में पोक्सो अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं।

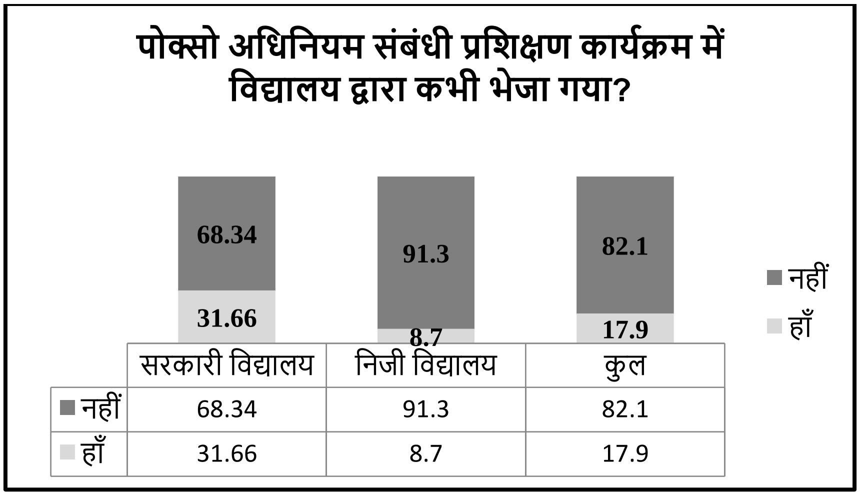

स्तम्भ आलेख: 6

शोधकर्ता ने जहां विद्यालय में पोक्सो अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के बारे में पूछा, वहीं यह जानने का प्रयास भी किया गया कि विद्यालय के द्वारा अध्यापकों को अधिनियम संबंधी किसी प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए विद्यालय से बाहर भेजा गया या नहीं। इसकी प्रतिक्रिया में 17.9 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उन्हें विद्यालय के बाहर पोक्सो अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया है। इस विषय पर शोध परिणामों को अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सरकारी विद्यालयों के 31.66 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उन्हें विद्यालय के बाहर पोक्सो अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया है लेकिन निजी विद्यालयों के केवल 8.7 प्रतिशत अध्यापकों ने ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने की बात कही।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध कार्य के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हैं:

- बच्चा अपने जीवन का एक लंबा समय विद्यालय में व्यतीत करता है इसलिए बच्चे को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा हेतु दिये गए दिशानिर्देशों का पालन होना अत्यंत आवश्यक है। सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए शिकायत पेटी, बाल सुरक्षा कमेटी तथा सीसीटीवी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। विभिन्न हितधारकों को इन बातों की जानकारी भी आवश्यक है। इसी संदर्भ में इस शोध कार्य की महत्ता दृष्टिगोचर होती है।

- बच्चे से जुड़े महत्वपूर्ण हितधारकों में उसके माता-पिता के साथ-साथ शिक्षक भी हैं। अतः इस शोध कार्य के परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षकों को न केवल पोक्सो अधिनियम संबंधी विभिन्न आयामों की जागरूकता हो बल्कि उन्हें अपने दायित्वों से भी परिचित करवाया जाए ताकि बाल यौन शोषण से संबंधी कोई शिकायत आने पर उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में पता हो।
- इस शोध के परिणामों के दृष्टिगत ज़रूरी है कि विद्यालयों में पोक्सो अधिनियम संबंधी जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए जाएँ तथा शिक्षकों को विद्यालय से बाहर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाए। ऐसे कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता होने के बाद विद्यालय में बच्चों के माता-पिता के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष : प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति एवं खुशहाली का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उस राष्ट्र में रहने वाले बच्चे अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। एक अच्छी शासन प्रणाली में यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि हर बच्चा बिना किसी डर के खुशी-खुशी अपने बचपन का आनंद उठा सके। परंतु यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि हमारे देश के बच्चे न तो घर के बाहर और न ही घर में सुरक्षित हैं। यौन शोषण के निरंतर बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2012 में बाल सुरक्षा हेतु सख्त कानून पोक्सो को लागू किया गया था परंतु लगभग दस वर्ष बीत जाने के बाद भी बच्चे से जुड़े हितधारकों को इसकी जानकारी तथा इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। बच्चों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण हितधारक शिक्षक हैं परंतु उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि अब भी 11.3% शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पोक्सो अधिनियम का नाम भी नहीं सुना, उसकी जानकारी होना तो दूर की बात है। केवल 53.6 प्रतिशत यानि लगभग आधे शिक्षक ही पोक्सो अधिनियम के तहत अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि विद्यालयों द्वारा शिक्षकों को इस अधिनियम के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और ज़्यादातर अध्यापकों को सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनो के द्वारा पोक्सो के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नहीं भेजा गया है। इस अधिनियम के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों को भी अभी तक सभी विद्यालयों द्वारा लागू नहीं किया गया है। 50 प्रतिशत से भी अधिक विद्यालयों में अब तक स्थायी/अस्थाई काउन्सलर की कोई सुविधा नहीं है। एक तिहाई विद्यालयों ने अब तक बच्चों के लिए शिकायत पेटी तथा सीसीटीवी जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं कारवाई है जो कि एक चिंता का विषय है। बच्चों के सुरक्षित एवं सुनहरे भविष्य के लिए आवश्यक है कि इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करके विद्यालय का वातावरण इतना सुरक्षित बनाया जाए कि बच्चा बिना किसी झिझक के अपनी बात शिक्षक के सामने रख सके। साथ ही अध्यापकों को भी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा इतना जागरूक और संवेदनशील बनाया जाए कि वह हर बच्चे की बात को समझ सकें तथा अपना दायित्व निभा सकें। यह भी सुनिश्चित

किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि सभी विद्यालय पोक्सो अधिनियम संबंधी दिशानिर्देशों के पालन में कोई कोताही न बरतें, क्योंकि बाल यौन अपराध की रोकथाम ही हमें एक स्वस्थ एवं सशक्त समाज प्रदान करेगी।

संदर्भ सूची

महिला तथा बाल कल्याण मंत्रालय. 2007. स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूस: इंडिया 2007. महिला तथा बाल कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली.

एनआईपीसीसीडी. *2015.* हैंड बुक ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पास्को एक्ट,2012फॉर स्कूल मैनेजमेंट एंड स्टाफ . नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेव्लपमेंट, हौज़ ख़ास, नई दिल्ली.

एचएक्यू सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स. 2017. इंप्लेमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट. गोल्स, गैप्स एंड चेलेंजेस, एचएक्यू सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली.

चिल्ड्रेन डिफेंस फ़ंड. *2020.* द स्टेट ऑफ अमेरिका चिल्ड्रेन *2010.* वाशिंगटन डीसी, रिट्रीवड फ़्राम *http://ww38.childrendefense.org/child-research-data-publications/data/state-of-americas-children-2010-report.html 12/03/2022*

डब्ल्यूएचओ. 2020. ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेन्स्ट चिल्ड्रेन.2020 , वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइज़ेशन, जेनेवा.

भारती, एस. *2020.* 90 परसेंट ऑफ अब्युजरस आर नॉन टु विक्टिम हाओ :दिस एनजीओ इज प्रेप्पिंग फैमिलीज टु फाइट चाइल्ड सेक्सुयल अब्यूज. रिट्रीवड फ़्राम *https://thelogicalindian.com/exclusive/lockdown-child-sexual-abuse-cases-2085210/03/2022*

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. 2007. 27th एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअलस विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2005. वाशिंगटन डीसी, ऑफिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहबिलिटेटिव सर्विसज.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. 2020. क्राइम इन इंडिया 2020. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.

कैलाश सत्यार्थी बाल संस्थान (2021) पुलिस केस डिस्पोसल पैटर्न: एन एंक्वाइरी इंटू द केसेस फ़ाईल्ड अंडर पोक्सो एक्ट, नई दिल्ली.

Cite Your Article as:

Chetana Jathol & Prof. Ranjeet Kaur. (2024). POCSO ADHINIYAM KE ANTARGAT VIDYALAYI DISHANIRDESHO KE PRATI SHIKSHIKO KI JAGRUKTA KA ADHYAYAN. In Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language (Vol. 12, Number 63, pp. 7–18). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11295816